न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 14/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– नवदीपसिंह पुत्र श्री बलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

————अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान राज्य ।

————रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 28.06.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.03.2017, जिसमें अपीलांट द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 19.01.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 1124 दिनांक 24.3.17 में आवेदक के विरूद्ध कोई टिप्पणी नहीं करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही पाये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2017 में उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रार्थी वर्तमान में राजकीय सेवा में जेल प्रहरी के पद पर केन्द्रीय कारागृह, हनुमानगढ में पदस्थापित है। उसे किसी प्रकार से जानमाल का खतरा नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्म्स नियम 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करता है। इसी आधार पर अपीलांट का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2017 से निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई ने बहस में मुख्यतः कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अपीलांट के विरूद्ध कहीं पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में लिये गये आधार बेबुनियाद है। अपीलाधीन आदेश में शस्त्र नियम 2016 के नियम 11 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन करने का तरीका बताया गया है तथा उपनियम 4 में आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजात बताये हैं। इस नियम 11 में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का परफॉर्मा अभी लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट केन्द्रीय कारागृह, हनुमानगढ़ में प्रहरी के पद पर तैनात है। अपीलांट ने आत्म रक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन किया था। इन समस्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय शस्त्र नियम 2016 के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने शस्त्र अधिनियम 2016 में विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप आवेदन नहीं किया है। शस्त्र नियम 11 एवं 12 एवं समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं की गई है। अपीलांट ने शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1124 दिनांक 24.03.2017 में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इस रिपोर्ट में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही पाये होने का उल्लेख किया है। अपीलांट केन्द्रीय कारागृह, हनुमानगढ में पदस्थापित है । अपीलांट के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन या दर्ज नहीं हुआ है। अपीलांट को अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यक होना बताया। शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 11 उपनियम 4 एवं अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में लिये गये आधारों को अनुचित बताया है। राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक के इस कथन से हम सहमत हैं कि अपीलांट ने शस्त्र अधिनियम 2016 में विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप आवेदन नहीं किया है। शस्त्र नियम 11 एवं 12 एवं समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं की गई है। अपीलांट ने शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि आवश्यक है। वरवक्त बहस आवेदक द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अन्य कोई साक्ष्य भी हमारे समक्ष पेश नहीं किये गये हैं। अपीलांट को आत्मरक्षार्थ शस्त्र चाहिये, परन्तु उसने जान–माल का खतरा होने का कोई युक्तियुक्त कथन या साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2017 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

8. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर